न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1515/12A/2026
UPBH010040712026

1– रफीक, उम्र 23 वर्ष, पुत्र गफ्फार अली,
2– गफ्फार अली, उम्र 55 वर्ष, पुत्र अकबर अली,
निवासीगण– रेवालगंज दा० चरनियाकोट, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच।
––––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

प्रति

सरकार उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, बहराइच। –––––––––अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 03/2026,
धारा 80(2),85 भा०न्या०सं०,
व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट,
थाना पयागपुर, जनपद बहराइच।

दिनांक– 10.07.2026

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रफीक व गफ्फार अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 03/2026, धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अपनी पुत्री आसिया का निकाह 15.03.2022 को विपक्षी रफीक के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज देकर मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार किया था। वादी की पुत्री के 02 वर्ष का पुत्र है। वादी की पुत्री को ससुराल वाले विपक्षीगण रफीक, गफ्फार व ननकना दान–दहेज में मोटर साइकिल की माँग बराबर करते थे। जब वादी की पुत्री अपने माँ–बाप से इस बारे में बतायी तब विपक्षीगण और बुरी तरह से मारा–पीटा करते थे और प्रताड़ित करते थे। दिनाँक 19.12.2025 को वादी के घर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री मर गयी है तब वादी दिल्ली में था और अपने पुत्र इरशाद को मौके पर भेजा जो 20.12.2025 को सुबह गया तब तक लड़की को दफना दिया था। वादी जब दिल्ली से वापस आया तब प्रार्थना पत्र दिया। वादी की पुत्री को विपक्षीगण ने गला दबाकर मार डाला और दफना दिया है।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोप झूंठे हैं। सच्चाई मात्र इतनी है कि वादी ने

अपनी पुत्री आसिया का निकाह प्रार्थी/अभियुक्त रफीक के साथ वर्ष 2023 में किया था। निकाह के बाद से ही मृतका प्रार्थी/अभियुक्त रफीक के साथ अपनी सास व प्रार्थी गफ्फार (ससुर) से बांटकर अलग रहती थी। निकाह के कुछ समय पश्चात मृतका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद से ही मृतका अक्सर बीमार रहती थी जिसकी काफी दवा इलाज प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने करवाया परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले वर्ष दिनाँक 19.12.2025 को रात करीब 11.30 बजे वादी मुकदमा की लड़की की मृत्यु हो गयी जिसकी सूचना प्रार्थी/अभियुक्त रफीक ने मोबाइल से वादी मुकदमा व उसके परिजनों को उसी रात दी जिस पर वादी का लड़का, उसकी बहू व उसकी पत्नी रात ही में प्रार्थीगण के गाँव आये तथा अगले दिन सुबह अपने परिजनों के साथ मृतका का कफन दफन कराया। उक्त कफन दफन के समय वादी मुकदमा का पुत्र, बहू व उसके परिजन भी मौजूद थे जिसकी फोटो व वीड़ियो जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। कथित घटना के समय वादी मुकदमा दिल्ली में था और अपनी पुत्री की मृत्यु की खबर मिलने पर भी वह दिल्ली से वापस अपनी पुत्री को अंतिम बार देखने नहीं आया। कफन दफन की रस्म हो जाने के पश्चात जब कुरान खानी हुई तब मृतका के भाई व माँ ने प्रार्थीगण से कहा कि चूंकि मृतका अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके महर की रकम व दिये गये उपहारों को वादी मुकदमा के परिजनों को वापस कर दिया जाना चाहिए जिस पर प्रार्थीगण तैयार हो गये। कफन दफन की सारी रस्में खत्म होने के पश्चात जब वादी मुकदमा दिल्ली से लौटकर वापस आया तो मात्र प्रार्थीगण से पैसे ऐंठने की नियत से अतिरिक्त पैसों की माँग करने लगा तथा मांग पूरी न होने की स्थिति में प्रार्थीगण को इस झूंठे मुकदमे में फंसा दिया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उनके द्वारा मृतका को कभी भी दहेज के लिए किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात पुलिस के द्वारा मृतका के दफन किये गये शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें मृतका के शरीर पर किसी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं पाये गये हैं और न ही उसके गले पर किसी प्रकार का कोई निशान ही पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जाये।

4– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त रफीक मृतका का पति तथा अभियुक्त गफ्फार अली मृतका का ससुर है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की माँग करने, माँग पूरी न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व दहेज हत्या करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः उनकी जमानत स्वीकार न की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6– अभियोजन के अनुसार अभियुक्त रफीक मृतका के पति तथा अभियुक्त गफ्फार अली मृतका के ससुर पर मृतका को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दहेज की अनुचित माँग पूरी न होने पर दहेज हत्या कारित करने का अभियोग है। वादी मुकदमा द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसकी लड़की आसिया से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन, अंगूठी तथा दो लाख रुपये की माँग करने तथा माँग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा दिनाँक 19.12.2025 की रात करीब 12.30 बजे उसकी दहेज हत्या कारित करने का कथन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की माता श्रीमती नजमा, मृतका के चाचा रोज अली व मृतका की भाभी सलीमुन निशा का प्रथम दृष्टया पुष्टिकारक बयान अन्तर्गत धारा 180

भा०ना०सु०सं० में विवेचक ने केस डायरी में अंकित किया है। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने की वजह से विसरा संरक्षित किया गया है। विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट केस डायरी के साथ संलग्न की गयी है जिसमें विसरा के भागों में आर्गेनोक्लोरो इन्सेक्टिसाइड़ विष पाया जाना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य व अस्वाभाविक परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर उसके ससुराल में हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जो अन्य आधार लिये गये हैं, वह साक्ष्य का प्रश्न है।

7– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, पत्रावली में संकलित साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्तगण की भूमिका व अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रफीक व गफ्फार अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 03/2026, धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० व धारा 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**बृजेश कुमार यादव**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
जे०ओ० कोड़–यू०पी० 1605

दिनांकः 10.07.2026